प्रेषक

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक: 899 /2020/प्रशा./अमरोहा, दिनांकित: 29-7-20

विषयः **दिनांक 29.07.2020 को जिला न्यायालय अमरोहा व वाहय न्यायालय हसनपुर में कर्मचारी तथा अधिवक्ता की कोविड–19 की जांच धनात्मक आने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2020 को जिला न्यायालय अमरोहा एक कर्मचारी की कोविड–19 की रिपोर्ट धनात्मक व वाहय न्यायालय हसनपुर में एक अधिवक्ता की कोविड–19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र दिनांकित मुचिअ/कोविड–19/2020--21/ 13046 दिनांकित 29.07.2020 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंकमित किया जाये। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा तथा वाहय न्यायलय हसनपुर को दिनांक 30.07.2020 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय
29/07/2020

जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।
DISTRICT JUDGE
AMROHA

संलग्नक– यथोक्त।

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरोहा।

आदेश संख्या– 89 दिनांकित 29.07.2020

आदेश

आज दिनांक 29.07.02020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा द्वारा जिला न्यायालय परिसर अमरोहा के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा विद्वान अधिवक्तागण के कोविड–19 के एन्टीजन टेस्ट कराये गये, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट–3, अमरोहा के न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चन्द्रप्रकाश की कोविड–19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है तथा पीठासीन अधिकारी वाह्य न्यायालय हसनपुर के पत्रांक निल दिनांकित 29.07.2020 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि अधिवक्ता श्री सुखवीर सिंह कोविड– 19 की जांच में सकारात्मक आने पर उनके द्वारा डॉ0 हसनपुर को अवगत कराया गया, जिन्होंने उक्त को पत्र के द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की है।

मेरे निर्देशों के अनुसार मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अमरोहा द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट–तृतीय, अमरोहा में कार्यरत कर्मचारी श्री चन्द्रप्रकाश की भी कोविड–19 की जांच में सकारात्मक आख्या प्राप्त हुई है। चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनपुर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के द्वारा प्रेषित उक्त दोनो आख्याओं में एकसमान कथन अंकित है।

अतः उपरोक्त उल्लेखित पत्रो में उक्त कर्मचारी श्री चन्द्रप्रकाश व अधिवक्ता श्री सुखवीर सिंह की कोविड–19 की जांच में उक्त बीमारी के लक्षण पाये गये हैं और उक्त आधार पर चिकित्सीय सलाह दी गयी है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जाये। इसके साथ–साथ जो–जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (1 मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा संपर्क) में आये हों, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारेन्टाइन किया जाये।

उक्त सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत सर्कुलर लेटरो के प्रकाश में यह उपयुक्त है कि कोरोना माहमारी के संक्रमण को न्यायालय परिसर तथा वाहय न्यायालय हसनपुर में फैलने से रोकने के लिए एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या– 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 03.06.2020 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुक्रम में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर व वाह्य न्यायालय हसनपुर को पूर्णतः सेनेटाईज कराने हेतु 24 घण्टे की अवधि अर्थात दिनांक 30.07.2020 को जिला अमरोहा के केवल मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय एवं कार्यालय एवं वाह्य न्यायालय हसनपुर पूर्णतः बन्द रहेंगे। दिनांक 31.07.2020 को मुख्यालय व वाहय न्यायालय हसनपुर स्थित समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या– **1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 28.07.2020** के बिन्दु संख्या 01 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से निश्चित समयावधि में

contd

निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण अति आवश्यक/जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना आदि की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय पर सम्पादित करेंगे :-

1. सत्र न्यायाधीश

2. विशेष अधिकारिता वाले न्यायालय

ए- विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट

बी- विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट

सी- विशेष न्यायालय गेंगस्टर एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट

डी- विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम

ई- न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

एफ- न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)

जी- न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- **1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 28.07.2020** के प्रस्तर संख्या - 3 में यह दिशानिर्देश दिया गया है कि अधिवक्तागण द्वारा जमानत तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रो को जिला न्यायालय की ई-मेल आईडी **dcjyo2@gmail.com** पर प्रेषित किया जा सकता है। ई-मेल आईडी पर जो भी जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य आवश्यक प्रकरण विद्वान अधिवक्तागण द्वारा भेजे जायेंगे, उनमें अधिवक्ता तथा वादकारी का पूर्ण विवरण, अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अंकित होना आवश्यक है। जिला न्यायालय कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी जमानत प्रार्थना पत्र तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की एक सूची तैयार कर सी.आई.एस. पर भी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तथा आवश्यक प्रार्थना पत्रों में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो विद्वान अधिवक्तागण को उसी दिन सूचित करना सुनिश्चित करेंगे तथा पुनः सी.आई.एस. पर काजलिस्ट तैयार की जायेगी। केवल उपरोक्त वर्णित अति आवश्यक प्रार्थना पत्र ही कॉजलिस्ट में दर्शित किये जायेंगे तथा अन्य प्रार्थना पत्रों में सामान्य तिथि दी जायेगी।

सिस्टम ऑफिसर/ डी.एस.ए./एस.ए. आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवश्यक प्रार्थना पत्र/ जमानत/ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रो को सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त हेतु Jitsi-meet software प्रयोग किया जा सकता है, जिसका लिंक न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अधिवक्ता/अभियोजन को शेयर किया जायेगा। विद्वान अधिवक्तागण और अभियोजन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और न्यायालय परिसर के बाहर से दिये गये टाइम स्लॉट में अपने मामले की सुनवाई करा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु जो Jitsi-meet software प्रयोग होगा उसके प्रयोग करने का

तरीका जिला न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त अवकाश की तिथियों में नियत सभी वादों में अग्रिम सामान्य तिथि के बारे में सूचना अग्रिम कार्यदिवस पर सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय द्वारा दी जायेगी। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अमरोहा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवकाश की तिथियों में रिमान्ड आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही /व्यवस्था सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुक्रम में जिला अधिकारी, अमरोहा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अमरोहा व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, हसनपुर को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय तथा वाहय न्यायालय हसनपुर के सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाईजेशन कराया जाना व संक्रमित कर्मचारी के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की अविलम्ब कोरोना जांच कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि कोई न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, विद्वान अधिवक्तागण, पुलिसकर्मी, वादकारी या अन्य कोई व्यक्ति संक्रमित अधिवक्ता श्री सुखवीर सिंह तथा कर्मचारी श्री चन्द्रप्रकाश के सम्पर्क में आया हो तो वह व्यक्ति स्वयं को 14 दिन के लिए क्वारेन्टाईन करेगा। अधिकारी/कर्मचारी स्वयं को क्वारेन्टीन कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे प्रशासनिक कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

तद्नुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

28/07/2020

(सैयद वाइज मिया)
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, अमरोहा।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हसनपुर।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), अमरोहा।
9. जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), अमरोहा।
10. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अमरोहा।
11. जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा को इस आशय की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

Contd.

12. उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

13. अध्यक्ष / सचिव, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद।

14. अध्यक्ष / सचिव, बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा।

15. अध्यक्ष / सचिव, जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन।

16. डी.एस.ए., जिला न्यायालय अमरोहा को जिला न्यायालय अमरोहा की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।